

Joint Committee Inspection Report

In The Matter of

Original Application No.29/2024 (CZ)

(Suo Moto Action on News paper article published in "Dainik Bhaskar Daily on 16.02.2024
Regarding Illegal Mining at Chitara Ghat of Sindh River" in District- Shivpuri (M.P.)

Vs

State of Madhya Pradesh & Ors ...

Suo Moto

In Compliance of Order dated 19/02/2024



Date of Inspection: 11 March, 2024

Location: Chitarighat at Sindh River, Tehsil Narwar
Distt- Shivpuri (MP)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

Original Application No.29/2024(CZ)

Suo Moto Action on News paper article published in "Dainik Bhaskar Daily on 16.02.2024
Regarding Illegal Sand Mining at Chitari Ghat of Sindh River" in District- Shivpuri (M.P.)

Vs

State of Madhya Pradesh & Ors ...

Suo Moto


Joint Committee Report

S. No.	Particulars	Page No.
1	Joint Committee Report	1-4
2	Annexure-1 , News Paper cutting, The Danik Bhaskar Daily in the Article published on dated 16.02.2024.	5
3	Annexure-2 , Copy of Hon'ble NGT order dated 19.02.2024	6-7
4	Annexure-3 , Copy of official order related to Nomination for joint inspection	8-10
5	Annexure-4 , Attendance sheet, Member of Joint committee & other officers during site visit on Dated 11/03/2024	11-12
6	Annexure-5 , Joint Panchnama (Revenue and Mining Department) dated 16.02.2024 prepared during the visit of Chitarighat at Sindh River.	13
7	Annexure-6 , Photographs taken by mining Dept Shivpuri & Revenue Dept. dated 16/02/2024. During site visit Chitarighat at Sindh River Showing destroying the submarine.	14
8	Annexure-7-11 , Copy of panchnama/ Japtinama & suprurdginama o n dated 11.03.2024 During joint committee side visit Chitarighat & nearest ghat at Sindh River.	15-19
9	Annexure-12 , Copy of receipt from police station sehore and M/s. Royal natural stones Pvt. Ltd.	20
10	Annexure-13 , Joint Committee Chitarighat at Sindh River site visit photographs	21-22
11	Annexure-14 , Copy of office order for calculation of environment compensation	23
12	Annexure-15 , Copy of Environment Compensation calculation sheet	24
13	Annexure-16 , Copy of notice issued regarding imposition of EC to Shri Bhupendra Rawat, Shri Deepu Kewat and Shri Veer Singh Rawat dated 13.03.2024	25-26
14	Annexure-17-19 , Copy of reply received from Shri Bhupendra Rawat, Shri Deepu Kewat and Shri Veer Singh Rawat dated 20.03.2024	27-29
15	Annexure-20-22 , Copy of letter regarding Environment Compensation imposing on Shri Bhupendra Rawat, Shri Deepu Kewat and Shri Veer Singh Rawat dated 20-03-2024	30-35
16	Annexure-23-25 , Copy of receipt of Environment Compensation amount paid on dated 30.03.2024	36-38
17	Annexure-26-27 , Copy of report prepared by Mining Department Shivpuri for imposing Penalty & EC.	39-40
18	Annexure-28-29 , Notice Issued to illegal sand excavators by SDM Karera, Distt. Shivpuri for imposing penalty and EC.	41-42
19	Annexure-30 , Copy of Dainik Bhaskar daily in the article published, Newspaper cutting on dated 20.03.2024.	43

08.04.2024

BHOPAL

Submitted by MPPCB:-
through Counsel



REPORT OF THE JOINT COMMITTEE IN O.A. NO. 29 OF 2024 IN THE MATTER OF SUO MOTO O.A NO.29/2024 ON THE NEWS ITEM PUBLISHED IN THE DAINIK BHASKAR DAILY IN THE ARTICLE PUBLISHED ON 16/02/2024 HIGHLIGHTED ILLEGAL MINING AT CHITARIGHAT OF SINDH RIVER IN SHIVPURI DISTRICT OF MADHYA PRADESH - ORDER DATED 19/02/2024

It is humbly submitted that a suo moto application was registered based on news item published in “Danik Bhaskar” Daily in the Article published on 16.02.2024 highlighted illegal mining at Chitraghat of Sindh River in Shivpuri District of Madhya Pradesh by use of local made submarine for excavating the sand from the main stream of the river, which is propelled by the diesel engine pumping set. Such machines sucks the in stream water with the sand from mid/ main stream of the river and throws it at a certain point throw pipes and the same is illegally transported for commercial purpose without any payment of revenue causing huge loss to the state exchequer and violation of environmental rules. Copy of Newspaper cutting as **Annexure-01.**

The above taken up case was heard before the Hon’ble NGT (CZ) Bhopal on 19/02/2024 & Hon’ble Tribunal & directed as:-

3. Registry is directed to issue the notice to the respondents.
4. Respondents are directed to submit their reply within Six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
5. It is appropriate to constitute a committee with the following persons :
 1. One representative from the Collector, Shivpuri (M.P.)
 2. One representative from the State Pollution Control Board (M.P.)
6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. The report in the matter is filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Hon’ble NGT order dated 19.02.2024 attached as **Annexure-02.**

In-Compliance to Hon’ble NGT (CZ) order Dated 19/02/2024, In Case of OA No. 29/2024, Following officers are nominated:-

- (A) Shri Dinesh Chandra Shukla, Additional District Magistrate, District Shivpuri – Representative of the District Collector, District Shivpuri. (M.P.)

(B) Shri D.V.S. Jatav, Regional officer, MPPCB, Guna, representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board. Copy of official order related to nomination for joint inspection attached as **Annexure-03.**

Other officers were also present during joint inspection-

Sr.No.	Name & Designation	Department
1.	Shri Ajay Sharma, SDM, Tehsil Karera Distt. Shivpuri	Revenue Department
2.	Shri Virendra Verma, Mining Inspector,	Mining Department, Shivpuri
3.	Shri B.S. Narwariya, Asst. Engineer (S.P.)	M.P. Pollution Control board, Vijaypur-Guna (M.P.)
4.	Shri Balaram Mehra, In charge officer	M.P. State mining corporation Ltd. Distt. Shivpuri
5.	Shri Amit Dubey, Tehsildar,	Revenue Department, Tehsil -Karera, Distt. Shivpuri .
6.	Shri D.R. Kakodiya, Revenue Inspector	
7.	Shri Ramlakhan, Patwari.	
8.	Shri Sunil Singh Rajpoot, In –charge, police station –Shehore	
9.	Shri Ranjor Singh Rawat, Constable	Police Dept, Distt. Shivpuri
10.	Shri Pawan Rawat, Constable	
11.	Shri Pushpendra Singh Jadon, Representative	
		M/S Royal Natural stones Pvt. Ltd.

Attendance sheet attached as **Annexure-04**

Details of action taken by Mining & Revenue Department on 16.02.2024:-

Chitari Ghat of Sindh River Dist. Shivpuri was inspected by Assistant Mining officer along with Naib Tehsildar, Tehsil Narwar, Distt. Shivpuri. In connection with illegal mining at Chithari ghat of Sindh River in District Shivpuri published in dainik Bhaskar newspaper dated 16.02.2024. On the spot a submarine was found engaged in sand extraction. People nearby refused to tell anything when enquired. Since the submarine was found in abandoned condition action was taken to destroy the submarine. Photographs were taken and panchanama was prepared and attached as **Annexure-05-06.**

Detail of facts and action taken during the inspection of The Joint Committee on 11.03.2024:-

- ❖ Chithari ghat, Bijore ghat and sehore ghat of Sindh River Distt. Shivpuri were inspected by the joint committee along with additional members as stated in the attendance sheet on 11.03.2024.
- ❖ At the time of inspection, excavation and transportation of sand from the river was not carried out.
- ❖ Details of sand and material found are as follows:-

Chitari Ghat	Bijore Ghat	Sehore Ghat
(1)	(2)	(3)
Quantity of sand – 20 M ³ (Approx.) Submarine – 01 Nos. Pipe – 03 Nos.	Pipe – 02 Nos.	Quantity of sand – 40 M ³ (Approx) Drum – 08 Nos. Pipe – 03 Nos.

Materials found at the different ghats were handed over to Police station, Sehore and seized sand was handed over to Shri Pushpendra Jadon authorized person of MDO M/s Royal Natural Stone Pvt. Ltd. The details of panchanama/ Japtinama & suprurdginama with photographs are attached as **Annexure-07-13.**

- ❖ Details of illegal excavators: The names and addresses of the persons involved in sand excavation have been given by the persons present on the spot are as follows:-

S.No	Name	Address
1	Shri Bhupendra Singh Rawat s/o Shri Hakin Singh Rawat	Village- Itma, Tehsil- Chinor , Distt. Gwalior
2	Shri Deepu Kewat S/o Shri. Balu Kewat	Village- Dehayla, Tehsil- Narwar, Distt. Shivpuri
3	Shri Veer Singh S/o Shri. Ram Kishan	Village- Rajpur, Tehsil- Narwar, Distt. Shivpuri

Action taken by MPPCB :-

Details Of Environmental Compensation imposed by Madhya Pradesh Pollution Control Board:-

Regarding illegal sand mining, the amount of environmental compensation has been calculated on the basis of the formula suggested by Hon`ble NGT (P.B.) in the order dated 26.02.2021 in O.A. No. 360/2015,the EC calculation sheet is attached as **Annexure-14 & 15.**

A notice was issued to the illegal sand excavator to submit their reply before imposing EC amount of Rs. 3,59,583/- (Rupees Three Lakh Sixty Nine Thousand Five Hundred Eighty-Three only), copy of notice is attached as **Annexure-16.**

The reply received from the illegal sand excavator is attached as **Annexure-17-19.**

Since the reply received from the illegal sand excavator was not satisfactory hence EC amount was imposed. Copy of letter is attached as **Annexure-20-22.**

Environmental compensation amount has been deposited by the illegal sand excavators, the compensation deposit receipts of which are attached as **Annexure-23-25.**

Action taken by Mining Department:-

Details of penalty imposed by Mining Department District Shivpuri:-

Assistant Mining Officer submitted the detail report to the mining officer regarding illegal sand excavation from Sehore Ghat & Chitari Ghat at Sindh River, Distt. Shivpuri & proposed penalty as well as Environment compensation Under Chapter-5 Rule 18 and 18 (1) of MP Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2022, as amended, Copy of reports attached as **Annexure-26-27.**

Action has been taken to impose penalty as follows:-

S.N.	Illegal excavators on whom penalty was imposed.	Chitari Ghat, Sindh River, Shivpuri	Sehore Ghat, Sindh River, Shivpuri
1	Shri. Bhupendra Singh Rawat S/o Shri Hakin Singh Rawat	• Penalty for illegal excavation of sand Qty. approx 20 M ³ .	• Penalty for illegal excavation of sand Qty. approx 40 M ³ .
2	Shri. Deepu Kewat S/o Shri. Balu Kewat	• 15 Times of Royalty Rates Rs. 75,000/-	• 15 Times of Royalty Rates Rs. 1,50,000/-
3	Shri. Veer Singh S/o Shri. Ram Kishan	• Penalty for environmental compensation Rs. 75,000/-	• Penalty for environmental compensation Rs. 1,50,000/-
		Gross Amount Rs. 4,50,000/- (four Lac. fifty thousand only)	

A notice was issued by SDM Karera, District Shivpuri vide notice dated 22-03-2024 to the illegal sand excavator to submit their reply before imposing penalty & EC amount. Copy of notice is attached as **Annexure-28-29.**

Suggestions:- During visit to the sand mining site and remote areas it was necessitated that, while constituting committee by a Hon'ble NGT police department should also be included in the joint committee for safe conduct of visit. Copy of Dainik Bhaskar news paper cutting on dated 20.03.2024 attached as **Annexure-30.**



**D.V.S. Jatav,
Regional Officer, MPPCB,
Vijaypur, Distt. Guna (M.P.)**



**Dinesh Chandra Shukla,
Additional District Magistrate,
Distt. Shivpuri**

दैनिक भास्कर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

मूल्य ₹ 5.00 | वर्ष 67, अंक 185, महानगर 1

dainikbhasakar.com

भोपाल, शुक्रवार 16 फरवरी, 2024

माघ शुक्ल पक्ष- 7, 2080

12 राज्य | 61 संस्करण

अवैध खनन... सिंध नदी में पनडुब्बियों की कतार

माफिया ने 500 मीटर क्षेत्र में 11 पनडुब्बियां उतारीं, चित्तारी घाट से दिन-रात निकाल रहे रेत

नरेंद्र शर्मा | शिवपुरी

जानिए... क्या है पनडुब्बी और कैसे काम करती है

रेत माफिया अंचल में बेखौफ होकर दिनदहाड़े अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण करेरा क्षेत्र में सिंध के चित्तारी घाट पर देखने को मिला। जहां माफिया ने 500 मीटर क्षेत्र में ही 11 पनडुब्बियां उतारी हैं और दिन-रात सिंध का सीना चीरकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है।

चित्तारी घाट पर सिंध लबालब रहती है और इसकी तलहटी में काफी रेत जमा है। यही कारण है कि माफिया पनडुब्बियां डालकर रेत निकालकर किनारे पर इकट्ठा करता है, फिर बूलडोजर से डंपरों में भरकर परिवहन कर देता है। ऐसा नहीं कि प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग के अफसरों को इतने व्यापक स्तर पर हो रहे उत्खनन की जानकारी नहीं है, लेकिन अफसर यदा-कदा दिखावे की कार्रवाई कर ईश्वर कर लेते हैं।

वहीं करेरा एसडीएम अजय शर्मा बोले- अवैध उत्खनन की मुझे जानकारी है। इसके बारे में माइनिंग वालों का बता दिया है, जिस दिन वे आएंगे, कार्रवाई करेंगे।

नदी से रेत निकालने के लिए माफिया एक विशेष प्रकार की पनडुब्बी का निर्माण कराते हैं। इसमें लोहे के पाइप की एक चेन बनाई जाती है, जिसका एक सिरा नदी किनारे की ओर होता है और दूसरा हिस्सा पानी के अंदर मौजूद रेत पर। यह दोनों सिरे डीजल इंजन से जुड़े होते हैं। यहां नाव में सक्शन पंप मशीन (पनडुब्बी) रखकर उसे नदी के बीच में ले जाया जाता है। सक्शन पंप मशीन चालू होते ही वह नदी से पानी के सहारे रेत को बाहर फेंकती है। इस पनडुब्बी की कीमत ₹2.5 से 3 लाख होती है। नाव और पाइप पर करीब 1 लाख रुपए खर्च होते हैं। यह पनडुब्बी डीजल इंजन वाले ट्रयूवेल की तर्ज पर काम करती है।

पनडुब्बियों से इको सिस्टम को खतरा... पानी से भरी नदी में तमाम जलीय जीव-जंतु रहते हैं। पनडुब्बियों से रेत खींचने से इन जीव-जंतुओं पर सीधा असर पड़ रहा है। इससे नदी का इको सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मत्स्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कोई अभी तक जांच करने भी नहीं पहुंचा है। नियमानुसार, नदी जो रेत बाहर फेंक देती है, उसी को उठाया जा सकता है। (गोल घेरे में रेत उत्खनन में लगीं 11 पनडुब्बियां)



Item No. 01

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No.29/2024(CZ)

Suo Moto Action on News paper article published
in "Dainik Bhaskar Daily on 16.02.2024
regarding illegal Mining at Chitara Ghat of Shindh River"
in District- Shivpuri (M.P.)

Vs

State of Madhya Pradesh & Ors

...Suo Moto

Date of Hearing: **19. 02.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): None

For Respondent(s):

ORDER

1. The Danik Bhaskar Daily in the Article published on 16.02.2024 highlighted illegal mining at Chitraghat of Sindh River in Shivpuri District of Madhya Pradesh by use of local made submarine for excavating the sand from the main stream of the river, which is propelled by the diesel engine pumping set. Such machines sucks the instream water with the sand from mid /main stream of the river and throws it at a certain point throw pipes and the same is illegally transported for commercial purpose without any payment of revenue causing huge loss to the state exchequer and violation of environmental rules.
2. A substantial issue of environment has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.
3. Registry is directed to issue the notice to the respondents.

4. Respondents are directed to submit their reply within Six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
5. It is appropriate to constitute a committee with the following persons :
 1. One representative from the Collector, Shivpuri (M.P.)
 2. One representative from the State Pollution Control Board(M.P.)
6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **19th April, 2024.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

19th February, 2024
Suo Moto No. 29/2024 (CZ)
K



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कॉलोनी, भोपाल-462016



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 654 /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2024, भोपाल, दिनांक 21 FEB 2024

// आदेश //

सिविल प्रकिया संहिता 1908(1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुय क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना/विजयपुर को माननीय एनजीटी में ओ. ए 29/2024 (CZ) (Suo Moto Action on News paper article published in "Dainik Bhaskar Daily on 16.02.2024 regarding illegal Mining at Chitara Ghat of Shindh River") भोपाल बेंच में म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन पत्र करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म०प्र० विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में बोर्ड अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की एय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे की बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- (5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा :-
 - (1) बादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिपोर्ट।
 - (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल बेंच, भोपाल में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कॉलोनी, भोपाल-462016



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा बोर्ड के विरुद्ध पारित किया जाता है तो बोर्ड को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्घ शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- (12) प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि, कोई महत्वपूर्ण पत्र या दस्तावेज आप्रकटिक/छुपी हुई न रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अग्रेषित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(आर. एस. कोरी)

डायरेक्टर पर्यावरण (विधि)

प्रतिलिपि :-

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना/विजयपुर प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को सदैव ही भेजी जावे।
- (2) श्रीमती पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि माननीय एनजीटी के आदेश के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी म.प्र.

E-Mail: modgmshi@mp.gov.in

पत्र क्रमांक/ 377 /3-6/खनि/एन.जी.टी.29/2024

शिवपुरी, दिनांक 01/03/2024

प्रति,

अपर कलेक्टर
जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ओ.ए. नम्बर 29/2024 के प्रकरण के सम्बंध में जाँच बावत।

संदर्भ:- 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 352 दिनांक 27/02/2024

2. क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना।

कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, पत्र में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ओ.ए. नम्बर 29/2024 में दिनांक 19/02/2024 को पारित आदेश के बिन्दु क्रमांक 5 में स्थल जाँच हेतु निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय द्वारा आपको नामित किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना द्वारा उक्त स्थल जाँच हेतु दिनांक 06/03/2024 में नियत की गई है। संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होना चाहेंगे।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की प्रति।

01.3.2024

खनि अधिकारी

जिला शिवपुरी म.प्र.

National green tribunal (CZ) Bench BhopalO.A. No. 29/24 (CZ)


Suo Moto Action on News paper article published
In "Dainik Bhaskar Daily on 16.02.2024
Regarding illegal Mining at Chitara Ghat of Shindh River"
In District-Shivpuri (M.P.)


Vs

State of M.P. & Ors

...Suo Moto

Joint committee inspection Date 11-03-2024Attendance Sheet

S.No.	Name & Designation	Name of Department	Mobile No. & Email	Signature
1.	Dinesh Shukla	GAD ADM SHIV PURI	88390- 94285	
2.	AMIT DUBEY	Revenue TEHSILDAR	9131988097	
3.	श. अतार. काकोरी	KI	9893085617	
4.	Ramlakhan Singh	पटवारी	8120824502	
5.	सुदेश शर्मा	TT कर्ता	9977302003	
6.	डी. व्ही. एस. जाटव	क्षेत्रीय-अधी. न.प.प.नि. बॉस विजापुर- गुम	9827332693	

7.	बालराज मेहरा प्रमो अफिसरी शिवपुरी	MPSMCL	9926575558	
8.	वीरेन्द्र वर्मा M.J.	कनिष्ठ शास्त्र कलेक्टर कार्यालय शिवपुरी	9817638240	
9.	Ramlakhan Singh	जवाहीर	8120824002	 Ph. 15
10.	डॉ. सुनील मेहं	आर. प्रमो अफिसरी सी.टी.ए.	9584038652	
11.	Suspendra Singh	Rambhadrachand Autonomous	9354880120	
12.	आर. 1114 रजिस्ट्रार सिविल	आर. प्रमो अफिसरी सी.टी.ए.	9926724235	
13.	Pawan Raut	C-1133 शिवपुरी-सी.टी.ए.	7828854836	
14.	Shupendra Singh AE	RO, MPCEB Guzera.	9993054111	
15.				
16.				

पंचनामा

हम पंचनामा डाय दिनांक 16/02/2024 को मौला
 अखिल चिताहरी - शिखर शिखर नदी काट पर यह
 पंचनामा किया है कि उक्त नदी काट से जला
 स्वामित्व से अर्थात् अखिल/पारवर्तन कि शिखरतो
 से दिनांक मारच 24 समाचार का प्रकाशन दिनांक 16/02/24
 किलयन अर्थात् खनन शिखर नदी में पनडुब्बियों कि कतार
 में अखिल चिताहरी शिखर नदी काट तहसील मारच
 से संलग्न काट शिखर का संयुक्त निरीक्षण नाथक तहसील
 नरवर से अहाशक स्वामित्व आधिकारी शिखर द्वारा किया
 गया निरीक्षण दौरान उक्त नदी चिताहरी काट पर एक
 पनडुब्बी अर्थात् सेत निमाकी में संलग्न पाई गई। इस
 पास उपस्थित व्यक्तियों से पूछे जाने पर कुछ भी पता
 से इंकार किया सावाप्रेस अखिल में पनडुब्बी पाये
 जाने से मोक पर पनडुब्बी निमाकी कि कायवाही
 की गई मोक के पोलीकफन लिये गये।

पंचनामा किया, पद. मुजाया पंचनामा
 अहताहर किसे / उक्त अक्षरत काम डी

मुजाया

CSky 01/11/24

16/02/2024
 नाथक तहसील 16/02/24
 नरवर
 Anu shivruni

अशोक



पंचनामा

पंचनामा लिख दिया हम ग्राम चित्तहरी वाले डिआर
 भाज दिनांक 11/03/2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित आधिकारण
 (सीजेड) के ए.क. 0.A. 29/2024 में पारित आपदेश दिनांक
 13/02/24 के अनुपालन में खनिज राजस्व एवं पृथ्वी संपदा
 अधिनियम 1956 के अंतर्गत खनिजों पर उपलब्ध होने वाले
 पाया गया कि ग्राम चित्तहरी खिंच नदी घाट सर्वे नं. 01 रखा
 14.67 है. के भाग पर लगभग 2 डमर खनिज रेत निकली
 हुई नहीं के छिन्ने पाई गई एवं एक पनडुब्बी मोठे पर
 होना पाया गया तथा 03 नंग पाईप चित्तहरी घाट नदी
 छिन्ने पास जैसा तथा जती से लगे घाट सीजेड घाट पर
 02 नंग पाईप होना नहीं छिन्ने पास गया तथा चित्तहरी
 घाट के ठीक सामने सीजेड घाट सर्वे नं. 753 रखा 12.59 है
 के भाग पर लगभग 04 डमर खनिज रेत नहीं छिन्ने पाई
 गई तथा 03 नंग पाईप एवं 08 नंग डमर नहीं छिन्ने पास
 गये। मोठे पर उपलब्ध व्यक्तियों द्वारा कलामा गया कि
 उक्त रेतखनन भूपेन्द्र रावत पुत्र हाकिम सिंह रावत निवासी
 ग्राम ईरमां तटलीय चिन्ने जिला गवालियर एवं दीपू देवत
 पुत्र-श्री बाबू देवत नि. ग्राम दिखमला तटलीय नरवर जिला
 खिचपुरी एवं श्री सिंह पुत्र रामजिशन रावत ग्राम राजपुर
 तटलीय नरवर जिला खिचपुरी रेत खनन में संलग्न हैं उक्त
 सामग्री एवं उपलब्ध रेत की जल्दी एवं सुपूर्दगी मोठे पर
 दी गई जो मोठे पंचनामा के साथ संलग्न है।

पंचनामा लिख दिया सो वक्त जरूरत हम करें।

श्री जे. सिंह
 भा. 2/2/24

J. S. Prasad Singh
 MDO

85R
 चित्तहरी

पुष्पेन्द्र सिंह
 11-03-2024

11.3.24
 जिला 2/13 अं. 13
 प्रो. अ. नि. का. 13
 खिचपुरी

M. K. Shrivastava

11.03.2024
 Anand Singh
 Ratan Singh

रामेश्वर
 चित्तहरी

पंचनामा
 11.3.24
 चित्तहरी

रामेश्वर
 चित्तहरी

रामेश्वर
 चित्तहरी

Jagdish Singh
 Ratan
 Chitauri

पंचनामा/सुपेक्षा पंचनामा

हम पंचनामा आज दिनांक 11.03.2024 को मीठे -
 जयल ग्राम चित्तौरी शिखर नदी घाट सेवन 01 रकवा
 14.67 हे० पर संयुक्त पाँच हे० इकाईयत हल पाँच
 क्षेत्रान पाया गया कि इकाईयत के अंश भाग पर
 खानेय के अनुमानित मात्रा लगभग 02 सम्फर (20 म³)
 इकाईयत पर नही किनारे खरी गई है। मीठे पर लैण्ड
 पंचनामा अनुसार भूपेन्द्र सिंह रावत 810 हाकिम सिंह रावत
 मि० ग्राम इन्मा लहरीय चिनार पिला जवालेपर खं दीपू केव
 810 जवाले केव मि० ग्राम दिहायला लहरीय नरवर पिला
 शिवपुरी खं गिर सिंह रावत 810 रामकिशन रावत मि० ग्राम
 जालपुर लहरीय नरवर पिला शिवपुरी द्वारा इकाई 20 म³
 खानेय के व इकाईयत बिना अनुमति के किया गया है
 मीठे पर इकाईयत इकाईयत मीठे नही होने से पंचनामे
 के अनुसार इकाईयत खेत भागा 20 म³ इकाईयत पिला
 की गई खं सुशारा इकाईयत पिला खानेय खेत साधिकर
 810 सी० श्री० पिला शिवपुरी की पुष्पेन्द्र पाकेन में शौचर
 मंचरवा बलेश्वर शा० वि० पिला शिवपुरी के सुपेक्षा में पंचनामे
 के समझा दी गई। इकाईयत सुपेक्षा खेत खानेय खेत या सुपेक्षा-वर्क
 नही करने खं मांग क्रिमे पाने पर प्रस्ताव करने कि खेत पर
 सुपेक्षा की गई।

शिवपुरी
 भारत सरकार
 स.प.
 चित्तौरी
 11-03-2024
 राजेश कुमार
 स.प. चित्तौरी
 11-3-24
 परवादी चित्तौरी
 11-03-2024
 स.प.
 स.प.
 स.प.

11-3-24
 बाबादत्त अंश
 50 अंश
 शिवपुरी
 11.03.2024
 Anand Shivpuri
 Ratan Singh
 Jagdish Singh
 Ratan Chitauri

पंचायत/स.प.दे.की पंचनामा

हम पंचनामा द्वारा दिनांक 11.03.2024 को गीमा वरदा का नाम
 शिरीश शिखा नदी द्वारा क्षेत्र नं० 453 संख्या 12.59 हे० का
 समेकित पंच क्षेत्र उपरिक्त हुए पंच क्षेत्रों को जोड़ा गया
 कि जवन काट के शंभू गांव पर खानेपान के अनुमानित
 मात्रा लगभग 04 इंच (40M³) इच्छानि का नदी किनारे
 खरी गई है। जो कि पर पंचनामा अनुसार भू-पट्टा शिख
 शत नं० 453 संख्या 12.59 नं० गांव वरदा तहसील चित्तौर
 जिला जवाहरपुर एवं दीपू केवल एवं बाबू केवल नं० काट
 किला वरदा तहसील नरवर जिला जितपुरी एवं नीर शिख शत
 शं० वाम किनारे नं० काट राजपुर तहसील नरवर जिला
 जितपुरी द्वारा इका 40M³ खानेपान के नुमानित
 बिना अनुमान के किया गया है जो कि पर इका अनुमानित
 मात्रा नदी किनारे से पंचानो के समूह इका इच्छानि
 एवं गांवा 40M³ इच्छानि परत की गई एवं अनुसंधान
 इका परत खानेपान के प्राधिकृत शं० डी० शि० जिला जितपुरी
 की एडवोकेट ऑफिस में शिख नरवर वरदा एवं शि०
 जिला जितपुरी के संप्रदायी के पंचानो के समूह की गई।
 इका संप्रदायी प्राप्त खानेपान के नुमानित एवं शिख नदी नदी
 एवं गांवा किनारे जाने पर इच्छानि करने के लिए पर संप्रदायी
 की गई।

श्री लक्ष्मी
 अध्यक्ष
 (चित्तौर)
 11-3-2024
 MP
 11-3-2024

श्री अ. अ. अ. अ.
 सचिव
 (चित्तौर)
श्री अ. अ. अ. अ.
 सचिव
 (चित्तौर)
 11-3-24
 सचिव
 (चित्तौर)

श्री अ. अ. अ. अ.
 सचिव
 (चित्तौर)
 11-03-2024
 Anu shirvan
Radan Singh
Sagdish Singh
Rajan
 Chitauri

अपनी सुपुदेगी पंचनामा

हम पंचगाव आवा किनांक 11.03.2024 को मीना स्थल चित्तौरी घाट सिंध नदी घाट पर पह पंचनामा लिखा दो है कि संयुक्त ऑन्य दैवान चित्तौरी सिंध नदी घाट, सर्वे नं. 01 अंकन 14.67 हे० के अंश भाग एवं सिंहीर सिंध नदी घाट सर्वे नं 753 अंकन 12.59 हे० के अंश भाग एवं ग्राम बीजाण सिंध नदी घाट पर संयुक्त अथवाही दैवान खानेप रेलवे स्त इरवन्ग में संलित 08 अग पडिय एवं 10 अग हम अप्ता अर सुपुदेगी में श्री प्रल्होद सिंह पादोन 510 श्री मन सिंह पादोन 520 श्री श्री म० बाँधव नचुरव अलेन या० वि० शिवपुरी के सुपुदेगी में दिया जात है कि सुपुदेगी आप्तमती पर धरते में उक्त ~~अंकन~~ पडिय एवं हम मुखिय धाना सिंहीर कि आगेवेसा में खरवाकर खानेप आरवा शिवपुरी को सूचित करेगी।

15Pmadesion
11-03-2024

11.03.24
कामरुज मेहता
उ०अ०द०
शिवपुरी

11.03.2024
Ams Shrivastava



हम संयुक्त आप दिनांक 11-03-2024 को भीका बरवा
 चित्तौड़री घाट बिहा नदी घाट पर यह वंचनामा लिखा
 केते है कि संयुक्त ऑनर डैमन चित्तौड़री बिहा नदी
 घाट सर्वे नं 01 बरवा 14.67 हे० के अंश भाग पर नदी
 किनारे एक पनडुब्बी पाई गई निरीक्षण डैमन इका
 पनडुब्बी संचालित नहीं थी न ही कोई व्यक्ति इका पनडुब्बी
 के अक्षर- पास पाया गया। खनिज रेत उत्खनन में
 संयोजित होने से इका पनडुब्बी अजा भव सुपुदगी में
 श्री पुष्पेन्द्र सिंह जादौन डा० श्री मान सिंह जादौन बगली डा०
 श्री शैलव नेचुरल स्टीन प्रा० वि० शिवपुरी के सुपुदगी
 में दिया जाता है कि सुपुदगी राजभार 48 अक्षर में
 इका पनडुब्बी को प्रविष्ट था। रिपोर्ट कि आग्रेवशा
 में व्यवहार खनिज बावरा शिवपुरी को सूचित करेगी

Jusponalasi
 11-03-2024

11-03-24
 बापराज सिंह
 98 अक्षर
 शिवपुरी

Okshur
 11-03-2024
 Anu Shrivastava

~~XXXX~~

मध्य प्रदेश शासन (पुलिस विभाग)

रोजनामचा विवरण

जिला : शिवपुरी

थाना : सीहोर



दिन : शुक्रवार



दिनांक : 22/03/2024

समय : 14:14

प्रविष्टि क्रमांक	प्रविष्टि का प्रकार	समय	व्यौरे	सन्दर्भ
009	अन्य	14:14	रोजनामचा प्रविष्टि प्रधान आरक्षक-कार्यवाहक/ SHAMSHER PAL के लिए उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक/Sunil Singh Rajput द्वारा की गयी : वजे मे सूचना है कि श्रीमान तहसीलदार महोदय नरवर एवं खनिज एनजीटी अधिकारी माईनिंग टीम द्वारा अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही की गई थी जिसके दौरान पनडुब्बी एवं लोहे के पाईप जप्त किये गये थे जो जप्त शुदा पाईप एवं पनडुब्बी पुष्पेन्द्र सिंह जादोन टेकेदार को सुपुर्द कर दिये जो टेकेदार द्वारा आज दिनांक 22.03.24 को जप्त शुदा पनडुब्बी एवं पाईप थाना लाकर सुरक्षार्थ रखे गये पनडुब्बी डैमैज हालत मे है उक्त जप्त शुदा थाना सुरक्षार्थ रखे गये रिपोर्ट दर्ज है	रिपोर्ट वावत रखने सुरक्षार्थ पनडुब्बी एवं पाईप

थाना प्रसारक
पुलिस थाना सीहोर
जिला शिवपुरी (म०प्र०)





क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



टैकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112
ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com



दूरभाष नं. 07544-274098

क्रमांक 1667 /क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024

गुना, दिनांक 12/03/2024.

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सी.जेड. बैच) भोपाल द्वारा दिनांक 16/02/2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में अवैध खनन... सिध नदी में पनडुब्बियों की कतार शीर्षक से प्रकाशित समाचार का सुमोटो लिया गया है। जिसमें दिनांक 19/02/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 11/03/2024 को संयुक्त जाँच की गई है। जाँच दौरान स्थल पर बनाये गये पंचनामा इस आदेश के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाना प्रस्तावित है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के ऑकलन/गणना हेतु निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाती है:-

1. श्री बी.एस नरवरिया सहायक यंत्री (संप्रो.)
2. श्री कल्याण सिंह, लेखापाल ।
3. श्री डी.एस यादव रसायनज्ञ ।
4. सुश्री सलोनी खैमरिया रसायनज्ञ ।

उक्त समिति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के ऑकलन/ गणना कर यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।


(डी.व्ही.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. डायरेक्टर (पर्यावरण), विधि/तकनीकी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. खनिज अधिकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. कनिष्ठ प्रबंधक स्टेट मायनिंग कार्पोरेशन शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. सर्वसंबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

**Calculation of Environmental Compensation [As per Hon'ble NGT (PB)
order dated 26/02/2021 in the matter of OA 360/2015]**

EC for Illegal Sand mining:-

Formula- $PV = \sum_{t=1}^5 \left(\frac{D+RT}{(1+R)^t} \right)$

- Severity- Severe Risk Level-4, Risk Factor 1.0 Discount- 5%
- Market Value of illegally mined material (D) = 60x1800= 1,08,000
(Illegally mined Sand = 60 Cum, Market Rate of Sand 1800/Cum)
- Annual value of Foregone Ecological Values = DxRF= 108000x1.0 = 1,08,000
Present Value of forgone Ecological values @ 5% Discount Rate over 5 year

Present Value	1,08,000	1,08,000	1,08,000	1,08,000	1,08,000
	$(1+0.05)^1$	$(1+0.05)^2$	$(1+0.05)^3$	$(1+0.05)^4$	$(1+0.05)^5$

$PV = 102857.1+97959.1+93294.4+88851.8+84620.8$

$PV= 467583.2$

$NPV= PV-D$

$NPV= 467583.2-108000$

$NPV= 359583.2$

Total EC Rs. 3,59,583/-


(Saloni Khemariya)
Chemist


(D.S. Yadav)
Chemist


(Kalyan Singh)
Accountant


(B.S. Narwaria)
AE



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैंकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112

ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

दूरभाष नं. 07544-274098



क्रमांक 1669 /क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024

गुना, दिनांक 13/03/2024

प्रति,

1. श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिम सिंह रावत,
निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)
2. श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केवट,
निवासी ग्राम -दिहायला तह. नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
3. श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत
निवासी ग्राम राजपुर तह. नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने व जमा करने बावत् सुनवाई का अवसर ।

- संदर्भ:-
1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सी.जेड.) भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 29/2024
 2. सिध नदी के चितारी घाट एंव आस-पास के क्षेत्र का दिनांक 11/03/2024 को संयुक्त जाँच दौरान प्राप्त जानकारी ।
 3. बोर्ड मुख्यालय का आदेश क्रमांक 199/विधि/प्रनिबो/2023 भोपाल दिनांक 11/08/2023 ।
 4. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 360/2015 में पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सी.जेड. बैच) भोपाल द्वारा दिनांक 16/02/2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में अवैध उत्खनन... सिध नदी में पनडुब्बियों की कतार शीर्षक से प्रकाशित समाचार का ओ.ए. 29/2024 सुमोटो लिया गया है। जिसमें दिनांक 19/02/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 11/03/2024 को संयुक्त जाँच की गई है। जाँच समिति के समक्ष संज्ञान में आया है कि आपके द्वारा सिध नदी के चितारी घाट, बीजोर घाट, सीहोर घाट आदि स्थानों से अवैधरूप से रेत की निकासी गई है। स्थल पंचनामा अनुसार लगभग 60 घनमीटर रेत का उत्खनन किया गया । माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 360/2015 में पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 में सुझाये गये फार्मूला अनुसार समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 3,59,583 अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, जिसको तीन बराबर हिस्सों में बाटने पर प्रत्येक अवैध उत्खननकर्ता को रु.1,19,861 सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की पंजाब नेशनल बैंक के खाता क्रमांक **6310001200000043 IFS code PUNB0631000** में जमा करना होगा । निरीक्षण के समय तैयार किये पंचनामा इस पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें अवैध उत्खननकर्ता के तौर पर आपका नाम उल्लेखित है। "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत" का पालन करते हुये आपको अपने बंधाव में यदि कुछ कहना हो अथवा पक्ष प्रस्तुत करना हो तो पत्र जारी होने के दिनांक से 15 दिवस का अवसर प्रदान किया जाता है। आपके द्वारा अपना पक्ष नियत समय में प्रस्तुत नहीं करने अथवा जबाव संतोषजनक नहीं पाये की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि अधिरोपित करने का आदेश जारी कर दिया जावेगा ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(डी.वी.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (विधि) म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जिला शिवपुरी ।
3. खनिज अधिकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला शिवपुरी ।

010

N.G.N. सं. क्र. 29/2024

पत्रावलीय हातपुति आधरोपित कसे व जमा कसे बाबत

① स्प्रीड पोस्ट = पोस्ट ऑफिस

जावक क्र. 1669 = जावक दिनांक 13/03/2024

स्प्रीड पोस्ट. दिनांक. 13/03/2024 स्प्रीड पोस्ट नं.

①. 228567162.IN = श्री अश्विन शवत = इटमा

②. 228567159.IN = प्रिण्डे वेंकट = दिहाईया

③. 228567145.IN = बीरसिंह शवत = राजपुर

जावक क्र.

1669

दिनांक 13/03/2024

<Dial 18002666888> <Breathe Fresh. Stay Safe>

भारतीय डाक



ET228567162IN TUR:6973228567162

SP GATI COMPLEX S.O (473112)

Counter No:13/03/2024,13:35

To:RHSPPNDRA RAMAT,ITMA

PTN:475110, Dabra S.O

From:HEPCORRD.GATI VITAYPIR

Wt:10gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indianpost.gov.in>

<Dial 18002666888> <Wear Masks. Stay Safe>

जावक क्र.

1669

दिनांक 13/03/24

ET228567159IN TUR:6973228567159

SP GATI COMPLEX S.O (473112)

Counter No:13/03/2024,13:35

To:DEEPI KAVAT,DIHAYAI

PTN:473880, Narwar S.O (Shivnari)

From:HEPCORRD.GATI VITAYPIR

Wt:10gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indianpost.gov.in>

<Dial 18002666888> <Wear Masks. Stay Safe>

भारतीय डाक



जावक क्र.

1669

दिनांक 13/03/24

ET228567145IN TUR:6973228567145

SP GATI COMPLEX S.O (473112)

Counter No:13/03/2024,13:35

To:VEERESHGH RAMAT,RATPIR

PTN:473880, Narwar S.O (Shivnari)

From:HEPCORRD.GATI VITAYPIR

Wt:10gms

Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Track on www.indianpost.gov.in>

<Dial 18002666888> <Wear Masks. Stay Safe>

भारतीय डाक



19.03.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैंकर पार्किंग एरिया, गैल काम्प विजयपुर जिला-गुना

विषय:- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 163 दिनांक 13/03/2024।


महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है कि दिनांक 11.03.2024 को संयुक्त जल द्वारा चितारी घाट एवं सिहोर घाट पर अवैध रूप से निकासी रेत मात्रा 60 घ.मी. रेत खनिज पर जुर्माना जमा करने हेतु सहमति चाही गयी थी। उक्त उत्खनन में से मेरे द्वारा लगभग 20 घ.मी. रेत ही निकाली गई थी। जिस पर केवल मेरे द्वारा की गयी उत्खनन की 20 घ.मी. मात्रा हेतु अनुपातिक रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 1,19,861/- जमा करने हेतु सहमत हूँ।

अतः 20 घ.मी. की राशि 1,19,861/-जमा कराकर मेरे विरुद्ध दर्ज प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें।

प्रार्थी

(दीपू केवट पुत्र बालू केवट)



19.03.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टैंकर पार्किंग एरिया, गैल काम्प विजयपुर जिला-गुना

विषय:- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 163 दिनांक 13/03/2024।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है कि दिनांक 11.03.2024 को संयुक्त जल द्वारा चितारी घाट एवं सिहोर घाट पर अवैध रूप से निकासी रेत मात्रा 60 घ.मी. रेत खनिज पर जुर्माना जमा करने हेतु सहमति चाही गयी थी। उक्त उत्खनन में से मेरे द्वारा लगभग 20 घ.मी. रेत ही निकाली गई थी। जिस पर केवल मेरे द्वारा की गयी उत्खनन की 20 घ.मी. मात्रा हेतु अनुपातिक रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 1,19,861/- जमा कराना चाहता हूँ।

अतः 20 घ.मी. की राशि 1,19,861/-जमा कराकर मेरे विरुद्ध दर्ज प्रकरण समाप्त करने का कष्ट करें भविष्य में प्रार्थी के द्वारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

प्रार्थी

(बीर सिंह पुत्र रामकिशन रावत)

बि.सि.ए

19.03.2024

Annexure- 19

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय M0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टैंकर पार्किंग एरिया, गैल काम्प विजयपुर जिला-गुना

विषय:- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने के बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 163 दिनांक 13/03/2024।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी को संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है कि दिनांक 11.03.2024 को संयुक्त जल द्वारा चितारी घाट एवं सिहोर घाट पर अवैध रूप से निकासी रेत मात्रा 60 घ.मी. रेत खनिज पर जुर्माना जमा करने हेतु सहमति चाही गयी थी। उक्त उत्खनन में से मेरे द्वारा लगभग 20 घ.मी. रेत ही निकाली गई थी। जिस पर केवल मेरे द्वारा निकाली गयी 20 घ.मी. मात्रा हेतु अनुपातिक रूप से पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की राशि 1,19,861/- जमा करने हेतु सहमत हूँ।

अतः 20 घ.मी. की राशि 1,19,861/- जमा कराकर मेरे विरुद्ध दर्ज प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त करने का कष्ट करें।

प्रार्थी

(भूपेन्द्र रावत पुत्र हाकिम रावत)

भूपेन्द्र



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैंकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112
ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

दूरभाष नं. 07544-274098



क्रमांक 1701 /क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024

गुना, दिनांक 20/03/2024

एनजीटी प्रकरण अति आवश्यक

प्रति,

श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिम सिंह रावत,
निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- अवैध रूप से रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने बावत्।

संदर्भ:-(1) इस कार्यालय का पत्र क्र. 1663 दिनांक 13.03.2024।
(2) आपका पत्र प्राप्त दिनांक 20.03.2024

- (1) यह है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के पूर्व आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- (2) यह है कि, संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आपके द्वारा आपका पक्ष इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंध नदी से आपके द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन करना स्वीकार किया गया है।
- (3) यह है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 360/2015 मे पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 मे सुझाये गये फार्मूला अनुसार समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है।
- (4) यह है कि, अवैध रूप से रेत उत्खनन करने की बात आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से स्वीकार की गई है में श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिम सिंह रावत, निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.), श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केवट, निवासी ग्राम -दिहायला तह. नखर, जिला शिवपुरी (म.प्र.), श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत, निवासी ग्राम राजपुर तह. नखर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

o/c

(2)

- (5) यह है कि, समिति द्वारा आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 3,59,583/- अधिरोपित की जाती है। जिसको तीन बराबर हिस्सों में बाटने पर प्रत्येक अवैध उत्खननकर्ता को रु.1,19,861/- सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की पंजाब नेशनल बैंक के खाता क्रमांक 6310001200000043 IFS code PUNB0631000 में तत्काल जमा कर पावती इस कार्यालय को प्रेषित करे।
- (6) यह है कि, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं अन्य सुसंगित अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।


(डी.व्ही.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- (1) सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) डायरेक्टर पर्यावरण (विधि), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैंकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112

ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

दूरभाष नं. 07544-274098

Annexure- 21

ई-मेल/स्पीड पोस्ट



क्रमांक 1702 /क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024

गुना, दिनांक 20/03/2024

एनजीटी प्रकरण अति आवश्यक

प्रति,

श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत
निवासी ग्राम राजपुर तह. नखर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- अवैध रूप से रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने बावत्।

संदर्भ:-(1) इस कार्यालय का पत्र क्र. 1663 दिनांक 13.03.2024।


(2) आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 20.03.2024

- (1) यह है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के पूर्व आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- (2) यह है कि, संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आपके द्वारा आपका पक्ष इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंध नदी से आपके द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन करना स्वीकार किया गया है।
- (3) यह है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 360/2015 में पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 में सुझाये गये फार्मूला अनुसार समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है।
- (4) यह है कि, अवैध रूप से रेत उत्खनन करने की बात आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से स्वीकार की गई है मैं श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिम सिंह रावत, निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.), श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केवट, निवासी ग्राम -दिहायला तह. नखर, जिला शिवपुरी (म.प्र.), श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत, निवासी ग्राम राजपुर तह. नखर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

o/c

(2)

- (5) यह है कि, समिति द्वारा आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 3,59,583/- अधिरोपित की जाती है। जिसको तीन बराबर हिस्सों में बाटने पर प्रत्येक अवैध उत्खननकर्ता को रु.1,19,861/- सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की पंजाब नेशनल बैंक के खाता क्रमांक 6310001200000043 IFS code PUNB0631000 में तत्काल जमा कर पावती इस कार्यालय को प्रेषित करे।
- (6) यह है कि, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं अन्य सुसंगित अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।


(डी.कै.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- (1) सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) डायरेक्टर पर्यावरण (विधि), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैंकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112

ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

दूरभाष नं. 07544-274098



ई-मेल/स्पीड पोस्ट

LIFE
Lifestyle for
Environment

क्रमांक 1703 /क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024

गुना, दिनांक 20/03/2024

एनजीटी प्रकरण अति आवश्यक

प्रति,

श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केवट,
निवासी ग्राम -दिहायला तह. नखर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- अवैध रूप से रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने बावत्।


संदर्भ:-(1) इस कार्यालय का पत्र क्र. 1663 दिनांक 13.03.2024।

(2) आपका पत्र प्राप्त दिनांक 20.03.2024

- (1) यह है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन के संबंध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के पूर्व आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।
- (2) यह है कि, संदर्भित पत्र 2 के माध्यम से आपके द्वारा आपका पक्ष इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंध नदी से आपके द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन करना स्वीकार किया गया है।
- (3) यह है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पी.बी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 360/2015 में पारित आदेश दिनांक 26/02/2021 में सुझाये गये फार्मूला अनुसार समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया है।
- (4) यह है कि, अवैध रूप से रेत उत्खनन करने की बात आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से स्वीकार की गई है में श्री भूपेन्द्र रावत, पुत्र श्री हाकिम सिंह रावत, निवासी ग्राम ईटमा तह. चिनौर, जिला ग्वालियर (म.प्र.), श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केवट, निवासी ग्राम -दिहायला तह. नखर, जिला शिवपुरी (म.प्र.), श्री बीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत, निवासी ग्राम राजपुर तह. नखर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

(2)

- (5) यह है कि, समिति द्वारा आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु. 3,59,583/- अधिरोपित की जाती है। जिसको तीन बराबर हिस्सों में बाटने पर प्रत्येक अवैध उत्खननकर्ता को रु.1,19,861/- सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की पंजाब नेशनल बैंक के खाता क्रमांक 6310001200000043 IFS code PUNB0631000 में तत्काल जमा कर पावती इस कार्यालय को प्रेषित करे।
- (6) यह है कि, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं अन्य सुसंगित अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।


(डी.व्ही.एस. जाटव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- (1) सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) डायरेक्टर पर्यावरण (विधि), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (3) कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



Receipt

Date : 30-Mar-2024, 02:53pm

Reference ID : 1517213727

From Account : 143705002916

From Account Name : JITENDRA KUMAR SHARMA

To Account : XXXXXXXXXXXXX0043

To Account Name : MPPCB

Amount : 119861

Date : 30-Mar-2024, 02:53pm

Remarks : Paryavaran Chatipurti Amount Beer singh



Receipt

Date : 30-Mar-2024, 02:34pm

Reference ID : 1517170564

From Account : 143705002916

From Account Name : JITENDRA KUMAR SHARMA

To Account : XXXXXXXXXXXXX0043

To Account Name : MPPCB

Amount : 119861

Date : 30-Mar-2024, 02:34pm

Remarks : Paryavaran chatipurti Amount Bhupendra Rawat



Receipt

Date : 30-Mar-2024, 03:06pm

Reference ID : 1517248171

From Account : 143705002916

From Account Name : JITENDRA KUMAR SHARMA

To Account : XXXXXXXXXXXXX0043

To Account Name : MPPCB

Amount : 119861

Date : 30-Mar-2024, 03:06pm

Remarks : Paryavaran Chatipurti Amount Deepu Kewat

ति,

खनिज अधिकारी
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

विषय:-

म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम-2022 के अध्याय-पाँच नियम-18 के तहत अवैध खनिज रेत उत्खनन का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

प्रकरण में लेख है कि, दिनांक 11.03.2024 को खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान ग्राम सीहोर घाट सर्वे नम्बर 753 रकवा 12.59 है. क्षेत्र के भाग पर लगभग 40 घ.मी. खनिज रेत एवं पाईप और ड्रम बगैर अनुमति के अवैध उत्खनन में संलिप्त पाये जाने से जप्त कर रेत ठेकेदार (एम डी ओ) रायल नैचुरल स्टोन्स प्रा.लि. द्वारा अधिकृत श्री पुष्पेन्द्र जादौन को सुरक्षार्थ सुपुदगी में दिये गये।


उक्त प्रकरण में संलग्न अभिलेख अनुसार पाया गया कि, रेत खनिज का अवैध उत्खनन में संलिप्त व्यक्तियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- | | |
|---|--|
| 1 अवैध खनिज उत्खननकर्ता मालिक का नाम व पता :- | 1. श्री भूपेन्द्र रावत पुत्र श्री हाकिम रावत निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर |
| | 2. श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केवट निवासी ग्राम दिहायला तहसील नरवर जिला शिवपुरी |
| | 3. श्री वीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत निवासी ग्राम राजपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी |
| 2 खनिज जिस स्थान से भरा गया अथवा ले जाया गया उसका विवरण :- | ग्राम सीहोर सिंध नदी घाट सर्वे नम्बर 753 रकवा 12.59 है. के भाग पर |
| 3 जाँच स्थल/थाना का विवरण :- | ग्राम सीहोर सिंध नदी घाट |
| 4 अवैध उत्खनित खनिज का नाम व तादाद मात्रा (घ0मी0) में :- | रेत मात्रा-40 घनमीटर |
| 5 खनिज की रॉयल्टी दर (रूपये) :- | 250/- प्रति घनमीटर की दर से 10000/- |
| 6 रॉयल्टी की दर का 15 गुना राशि (रूपये) अर्थशास्ति (म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम नियम-2022 के अध्याय-पाँच नियम 18 (1) संशोधन दिनांक 08.04.2022 के अनुसार) :- | 10000 X 15=1,50,000/- (प्रशमन की दशा में) |
| 7 पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम शास्ति के रूप में। :- | 1,50,000/- |
| 8 अर्थदण्ड हेतु प्रस्तावित राशि (अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम) कुल षस्ति रु.म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम-2022 के अध्याय-पाँच नियम 18 (1) के तहत अवैध खनिज संशोधन दिनांक 08.04.2022 के अनुसार) :- | 3,00,000/- (तीन लाख रूपये मात्र) |

उपरोक्तानुसार उत्खननकर्ता द्वारा प्रशमन नहीं किये जाने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबन्धों के अनुसार प्रकरण उप नियम (1) में यथा विहित अधिकारी के समक्ष कार्यवाही किये जाने एवं नियम 18(5) के तहत अवैध उत्खनन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप नियम (2) में निर्धारित कुल शास्ति की दुगुनी राशि रूपये 600000/- अधिरोपित किया जाना उचित है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्न:-

1. पंचनामा, जप्तीनामा / सुपुदगी,



सहा. खनि अधिकारी
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

खनिज अधिकारी
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

विषय:-

म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम-2022 के अध्याय-पाँच नियम-18 के तहत अवैध खनिज रेत उत्खनन का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने यावत्।

प्रकरण में लेख है कि, दिनांक 11.03.2024 को खनिज राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान ग्राम चिताहरी सिंध नदी घाट सर्वे नम्बर 01 रकवा 14.67 है. क्षेत्र के भाग पर लगभग 20 घ. मी. खनिज रेत, एक पनडुब्बी एवं पाईप बगैर अनुमति के अवैध उत्खनन में संलिप्त पाये जाने से जप्त कर रेत ठेकेदार (एम डी ओ) रायल नैचुरल स्टोन्स प्रा.लि. द्वारा अधिकृत श्री पुष्पेन्द्र जादौन को सुरक्षार्थ सुपुदगी में दिये गये।


उक्त प्रकरण में संलग्न अभिलेख अनुसार पाया गया कि, रेत खनिज का अवैध उत्खनन में संलिप्त व्यक्तियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | अवैध खनिज उत्खननकर्ता का नाम व पता :- | 1. श्री भूपेन्द्र रावत पुत्र श्री हाकिम रावत निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर |
| | | 2. श्री दीपू केवट पुत्र श्री बालू केवट निवासी ग्राम दिहायला तहसील नरवर जिला शिवपुरी |
| | | 3. श्री वीर सिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत निवासी ग्राम राजपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी |
| 2 | खनिज जिस स्थान से भरा गया अथवा ले जाया गया उसका विवरण :- | ग्राम चिताहरी सिंध नदी घाट सर्वे नम्बर 1 रकवा 14.67 है. के भाग पर |
| 3 | जाँच स्थल/थाना का विवरण :- | ग्राम चिताहरी सिंध नदी घाट |
| 4 | अवैध उत्खनित खनिज का नाम व तादाद :- | रेत मात्रा-20 घनमीटर |
| | मात्रा (घ0मी0) में | |
| 5 | खनिज की रॉयल्टी दर (रूपये) :- | 250/- प्रति घनमीटर की दर से 5000/- |
| 6 | रॉयल्टी की दर का 15 गुना राशि (रूपये) :- | 5000 X 15=75000/- (प्रशमन की दशा में) |
| | अर्थशास्ति (म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम नियम-2022 के अध्याय-पाँच नियम 18 (1) संशोधन दिनांक 08.04.2022 के अनुसार) | |
| 7 | पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम शास्ति के रूप में :- | 75000/- |
| 8 | अर्थदण्ड हेतु प्रस्तावित राशि (अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की रकम)कुल शस्ति रू.म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम-2022के अध्याय-पाँच नियम 18 (1) के तहत अवैध खनिज संशोधन दिनांक 08.04.2022 के अनुसार) | 150000/-
(एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) |

उपरोक्तानुसार उत्खननकर्ता द्वारा प्रशमन नहीं किये जाने की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के उपबन्धों के अनुसार प्रकरण उप नियम (1) में यथा विहित अधिकारी के समक्ष कार्यवाही किये जाने एवं नियम 18(5) के तहत अवैध उत्खनन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उप नियम (2) में निर्धारित कुल शस्ति की दुगुनी राशि रूपये 300000/- अधिरोपित किया जाना उचित है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

संलग्न:-

1. पंघनामा, जप्तीनामा / सुपुदगी,


सहा. खनि अधिकारी
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी, म०प्र०

दिनांक 22/03/24

प्र०क्र०/195/अ-67/2023-24

// सूचना पत्र //

बनाम

1. श्री भूपेन्द्र रावत पुत्र श्री हाकिम रावत
निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
2. श्री दीपू केवट पुत्र बालू केवट निवासी ग्राम दिहायला
तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.
3. श्री वीरसिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत निवासी ग्राम राजपुर
तहसील नरवर जिला शिवपुरी

विषय - अवैध परिवहन के प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने बावत् ।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि खनिज दल द्वारा जांच के दौरान ग्राम चिताहरी सिंध नदी घाट सर्वे नम्बर 01 रकवा 14.67 है० क्षेत्र के भाग पर लगभग 20 घनमी. खनिज रेत एक पनडुब्बी एवं पाईप खनिज का अवैध उत्खनन करते हुये पाये जाने से अवैध उत्खनन में संलिप्त पाये जाने से जप्त कर रेत ठेकेदार (एमडीओ) रायल नैचुरल स्टोन्स प्रा.लि. द्वारा अधिकृत श्री पुष्पेन्द्र जादौन को सुरक्षार्थ सुपुदगी में रखा गया उक्त से बगैर वैध अभिवहन पास के अवैध उत्खनन करना पाया गया है ।

आपके खनिज रेत एक पनडुब्बी एवं पाईप बगैर अनुमति के अवैध उत्खनन खनिज का अवैध परिवहन करते हुये पाये जाने से क्यों न आपके विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 10 के तहत प्रशमन किये जाने पर रॉयल्टी की पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि 75000/- रुपये एवं 75000/- वाहन के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि 150000/- रुपये अधिरोपित की जावे अथवा प्रशमन न करने की स्थिति में नियमानुसार शास्ति एवं वाहन अधिहरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

अतः आप प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष/जबाब नियत दिनांक 03/05/2024 को प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी ।


अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) करैरा
करैरा-2020

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला शिवपुरी, म०प्र०
प्र०क्र०/१६/अ-६७/२०२३-२४

दिनांक २२/०३/२४

// सूचना पत्र //

बनाम

1. श्री भूपेन्द्र रावत पुत्र श्री हाकिम रावत
निवासी ग्राम ईटमा तहसील चीनौर जिला ग्वालियर
2. श्री दीपू केवट पुत्र बालू केवट निवासी ग्राम दिहायला
तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.
3. श्री वीरसिंह पुत्र श्री रामकिशन रावत निवासी ग्राम राजपुर
तहसील नरवर जिला शिवपुरी

विषय - अवैध परिवहन के प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने बावत् ।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि खनिज दल द्वारा जांच के घनमी खनिज रेत, पाईप और ड्रम बगैर अवैध उत्खनन करते हुये पाये जाने से अवैध उत्खनन में संलिप्त पाये जाने से जप्त कर रेत ठेकेदार (एमडीओ) रायल नैचुरल स्टोन्स प्रा.लि. द्वारा अधिकृत श्री पुष्पेन्द्र जादौन को सुरक्षार्थ सुपुदगी में रखा गया । उक्त से बगैर वैध अभिवहन पास के अवैध उत्खनन करना पाया गया है ।

आपके खनिज रेत, पाईप और ड्रम बगैर अनुमति के अवैध उत्खनन खनिज का अवैध परिवहन करते हुये पाये जाने से क्यों न आपके विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम २०२२ के नियम १० के तहत प्रशमन किये जाने पर रॉयल्टी की पन्द्रह गुना अर्थशास्ति की राशि १५००००/- रुपये एवं १५००००/- वाहन के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि ३०००००/- रुपये अधिरोपित की जावे अथवा प्रशमन न करने की स्थिति में नियमानुसार शास्ति एवं वाहन अधिहरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

अतः आप प्रकरण में उपस्थित होकर अपना पक्ष/जबाब नियत दिनांक ०३/०५/२०२४ को प्रस्तुत करें अन्यथा की दशा में प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी
(रजिस्टर)
जिला करैरा (म०प्र०)



गुना 20-03-2024

मध्यप्रदेश

सिंध नदी में रेत खदानों पर वर्चस्व की लड़ाई

दतिया : रेत माफिया के बीच फायरिंग, दो चचेरे भाई समेत तीन लोग घायल हुए

भास्कर न्यूज़ | दतिया

आचारसंहिता के बाद भी हथियार जमा नहीं किए

गोराघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पाली में रेत माफिया के बीच जमकर गोली बारी हुई। घटना में दो युवक गोली लगने से घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति मारपीट में घायल हुआ। घटना मंगलवार को दोपहर 12 बजे की बताई गई। खास बात यह है कि जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी है। पुलिस ने लाइसेंसी हथियारों को जमा करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसका असर नहीं हुआ।

मंगलवार को रेत माफिया के दो गुटों में जमकर लाठी-डंडे और बाद में फायरिंग हुई। जिला अस्पताल पहुंचे नाहर सिंह (28) पुत्र मेघ सिंह निवासी ग्राम पाली ने बताया कि वह और उसका

घटना की प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया कि ग्राम पाली में सिंध नदी पर अवैध रेत खदान चलती है। इसी रेत खदान से रेत उठाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। मंगलवार को दोनों तरफ से गोलीबारी हो गई और एक दूसरे की मारपीट व फायरिंग कर गोली मार दी। पुलिस ने घायल नाहर सिंह और धर्मेन्द्र का मेडिकल कराया और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि, जिले में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 16 मार्च को लग गई थी। लेकिन अभी तक लाइसेंसी हथियार थानों में जमा नहीं किए गए।

चचेरा भाई धर्मेन्द्र पुत्र प्रकाश केवट मंगलवार को दोपहर 12 बजे गांव के बाहर टहल रहे थे। तभी विक्रम रावत निवासी मैदोना, आशू रावत, छोटू रावत निवासी कोटरा और विक्रम के साले संजू रावत ने बंदूक से गोली मारी। गोली नाहर सिंह के पैर में और धर्मेन्द्र के हाथ में लगी जिससे

दोनों घायल हो गए। जानकारी मिलने पर गोराघाट पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं, दूसरे पक्ष की तरफ से विक्रम रावत निवासी मैदोरा भी मारपीट में गंभीर घायल हुआ। उसे उसके साथी घटना स्थल से सीधे ग्वालियर इलाज के लिए ले गए और वह आईसीयू में भर्ती है।